प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सैंतालीस'

[1/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 217]

परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 217 (अतारांकित)

मा0 सदस्य का नाम श्री कैलाश चावला

सदन की बैठक का दिनांक 01.03.2016

गांधीसागर जलाशय की मछुआ सहकारी समितियों द्वारा रखी गई मुख्य मांगे एवं महासंघ द्वारा उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	समितियों द्वारा की गई मुख्य मांगे	महासंघ द्वारा की गई कार्यवाही
1	मेजर, लोकल मेजर प्रजातियों की मछलियों की दरों में वृद्धि करने बावत।	यह मांग स्वीकार कर महासंघ द्वारा मत्स्याखेट पारिश्रमिक दरों में प्रमुख सफर एवं स्थानीय बड़ी मछलियों की पारिश्रमिक दरों में 1.00 रू. प्रति किलो की एवं मछुआरों की आजीविका सहयोग योजना अंतर्गत दी जाने वाली अंश राशि में भी रू. 1.00 प्रतिकिलो की वृद्धि की गई।
2	नवनिर्मित मछुआ आवास कालोनी गांधीसागर नं–07 में बिजली पहुँचाने हेतु 5.00 लाख की मंजूरी करने हेतु तथा पानी, सड़क की व्यवस्था बावत।	गांधीसागर, नंबर–7 पर स्थित नव–निर्मित मछुआ आवास कालोनी में पेयजल व्यवस्था की मांग स्वीकार करते हुये राशि रू. 6,40,140.00 स्वीकृत किये गये। म0प्र0 पा.ज.क. लिमिटेड गांधीसागर द्वारा जलापूर्ति हेतु पाईप लाइन डलवाने की कार्यवाही प्रगति पर है। मछुआ आवास योजना में बिजली की व्यवस्था का प्रावधान नहीं होने से मांग पर विचार किया जाना संभव नहीं था।
3	मछुआरों को शासन की नाव–जाल प्रदाय की RKVY योजना को वर्ष के मत्स्याखेट कार्य प्रारंभ अगस्त माह में तथा जनवरी या फरवरी माह में आवश्यक रूप से प्रदाय करने हेतु।	मछुआरों की इस मांग के संबंध में लेख है कि RKVY योजना में नाव–जाल अनुदान राशि का वितरण राशि प्राप्त होने पर ही किया जा सकता है। वर्ष 2014–15 में योजनांतर्गत 75.00 लाख राशि 26 अगस्त 2014 में प्राप्त हुई थी जिसे दिनांक 23.09.2014 को इकाईयों में आवंटित किया गया था। वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में इस योजना से अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है जबकि इन वर्षों में क्रमशः 100 एवं 150 लाख अनुदान राशि के प्रस्ताव शासन को भेजे गये थे। राशि प्राप्त होते ही तत्काल अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी।
4	मत्स्योद्योग सहकारी समितियों को प्रबंधकीय व्यय हेतु मत्स्य महासंघ द्वारा वेतन संचालन व्यय आदि राशि प्रदान करें। सीधा समितियों को प्रदाय करें।	मत्स्य सहकारी समितियों का प्रबंधकीय व्यय समितियाँ मछुआ सदस्यों के मत्स्याखेट पारिश्रमिक में से कमीशन काटकर करती है। जो उनकी उपविधियों के प्रावधान अनुसार ही है। महासंघ में सहकारी समितियों के प्रबंधकीय व्यय एवं वेतन संचालन हेतु कोई राशि देने का प्रावधान नहीं है।
5	मछुआरा परिवार वृद्धि के मद्देनजर गांधीसागर को 100 मछुआ आवास प्रदाय करने की कृपा करें।	समितियों द्वारा आवासहीन मछुआरों की सूची उपलब्ध नहीं कराने एंव पूर्व में निर्मित मछुआ आवासों में मछुआरों के निवास नहीं करने के कारण मछुआरों की इस मांग पर कार्यवाही नहीं हो सकी।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय

उप संचालक मत्स्योद्योग
(सामान्य)
संचालनालय मत्स्योद्योग म0प्र0